उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेशर सरकार का उपकम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

सं0–50–विप(21)पाकालि / 19–24–वीपी / 00 दिनांकः 22 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों / वादों की कारपोरेशन एवं कारपोरेशन के अधीनस्थ विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्काम) की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं के पैनल गठन हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1420–वि0प0(21) / पाकालि / 18–24–वीपी / 00, दिनांक 21.12.2018 द्वारा प्रक्रिया, शर्तें एवं दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कार्यालय–ज्ञाप के अनुक्रम में कारपोरेशन के मुकदमों / वादो की समयबद्ध रूप से प्रभावी पैरवी किये जाने के उद्‌देश्य से एतद्‌द्वारा निम्नांकित संशोधन / आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किये जाते है :–

1. चूँकि अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित / नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त करने का तन्त्र अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, और चालू कलेन्डर वर्ष में एक ही बार अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित किये जाने के प्रतिबन्ध के कारण तत्काल सुयोग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने में विलम्ब हो रहा है, साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में घोषित सार्वजनिक अवकाश तक प्रतीक्षा किये जाने से मुकदमों की पैरवी प्रभावित होने की उत्पन्न सम्भावना के दृष्टिगत उपर्युक्त का0ज्ञा0 दिनांक 21.12.18 में प्राविधानित प्रतिबन्ध यथा प्रस्तर–(क) बिन्दु सं0–3 एवं प्रस्तर–(ख) बिन्दु सं–2 को समाप्त किया जाता है। उक्त संशोधन सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ही लागू होंगे।

2. इसके साथ ही जनपद न्यायालयों एंव सम–स्तरीय न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी एवं उनका अनुश्रवण सुचारू एवं प्रभावी रूप से संचालित एवं निष्पादित किये जाने के उद्‌देश्य से तत्संबंधी अधिकारों को प्रतिनिधानित (delegation of powers) करते हुए मा0 जनपद न्यायालयों एवं सम–स्तरीय न्यायालयों में वितरण कम्पनियों की ओर से दीवानी, फौजदारी, उपभोक्ता फोरम एवं अन्य वादों की पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित / नियुक्त करने तथा हटाने के समस्त अधिकार विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान किये जाते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश उक्त सीमा तक स्वंयमेव संशोधित माने जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–50(1)वि0प0(21)/पाकालि/2018 तद्दिनांक 22/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. ई–मेल समस्त प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केस्को, कानपुर।
8. ई–मेल समस्त उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
12. समस्त अधिकारी/अनुभाग, विधि स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, (चतुर्थ तल), लखनऊ।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन)